सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टॉटगढ (अजमेर.)

1. करमसिह पुत्र रामसिह जाति रावत निवासी मालातो की बैर बुबआ तहसील टॉडगढ
2. श्रवणसिह पुत्र रामसिह जाति रावत निवासी मालातो की बैर बुबआ तहसील टॉडगढ

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) टॉडगढ
2. राजस्थान सरकार बजरिये जिला कलक्टर अजमेर
3. पेमाराम रेजर क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज रावली बेहेसित खुद बेहसित पदेन तहसील टॉडगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रैवन्यू एक्ट वास्ते पत्थर गढी

आदेश

ग्राम मालातो की बैर खसरा नम्बर 15341, 15347, 15339 व 15345 मौजा मालातो की बैर पटवार हल्का मालातो की बैर तहसील टॉडगढ जिला अजमेर की भूमियो वादीगण एंव सहखातेदारी की भूमियो है। तथा मौके पर कब्जे बाबत आपस मे सह खातेदारान से किसी प्रकार को कोई विवाद नही है।
वादीगण इन खातेदारी की भूमियो से लगते हुऐ प्रतिवादी सं.3 एंव उसके कर्मचारीगण आये दिना वादीगण एंव अन्य खातेदारान को वन विभाग की भूमि होने बाबत डराते धमकाते है और आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है और वर्तमान मे प्रतिवादी सं.3 ने अपने सहयोगी कर्मचारी एंव अन्य दीगर व्याक्तियो को सम्मलित कर दिनांक 22.11.2017 को एक सामान के लूट की घटना और फसल को नुकसान दिया है जिसमे प्रतिवादी स.3 का कोई सम्बंध और कोई सरोकार नही है तथा घटना की पूर्णावति नही हो इस कारण वादींगण एंव अन्य सहखातेदारान अपने उक्त वार्णित खातेदारी की भूमियो पर पत्थर गढी करवाना चाहते है फसल की बुवाई के पश्चात अच्छी फसल हेतु सिंचाई के लिय डीजल 7000/– रूपये का जलाकर खेतो की सिचाई का कार्य किया जिसमे अच्छी फसल खडी हुई उसका नुकसान कर दिया खेतो पर दो बोरी मक्की एंव एक बोरी बाजरी 50 किलो तील पडे थे उनको जानबूझ कर मय ईरादा प्रतिवादी सं. 3 ने अपने सहयोगियो सहित किया। वादीगण की 15.गुणा 15 की ओडी को प्रतिवादी सं.3 ने अपने कब्जे मे कर उठा कर ले गये तथा वादीगण ने आनी खातेदारी की उक्त भूमियो पर तारबन्दी के लिये लोहे का तार लेकर आये थे उसको भी लूट कर ले गये लोहे केरेट जालीया जो कि करीब 25 लगभग थे उनको लेकर चले गये 11 नगलोहे के चदर थे उनको लूट ले गये तथा करीब 20 नग लोहे की छोटे एंगल व 20 बडे एंगल के नग को भी प्रतिवादी सं. 1 लूट कर ले गये तारबन्दी के लिये 150 एंगल छोटे लोहे के एक पानी का इंजन व तीन सौ फिट पी.वी.सी पाईप व घरेलू सामान मार्बल की पटटीयां कातले,15000/– ईटे, 20 गुणा 20 के पाल लुट कर ले गये जिसकी रिपोर्ट तत्काल थाना टॉडगढ मे दी गयी और थाना आज दिनांक सीमाज्ञान का बहाने बाजी करके टालम टोल कर रखा है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अतः सरकार पैरोकार जरिये तहसीलदार टॉडगढ द्वारा प्रस्तुत जवाब मे पत्थर गढी किया जाना उचित बताया है।

प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार टॉडगढ़ की बहस सुनी गई जिनमें उनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। पेरोकार सरकार ने बहस में मौखिक कथन किए कि यदि प्रार्थी की खातेदारी की भूमियों की पत्थरगढ़ी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टॉडगढ़ जिला अजमेर

रणवीर सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम मालातों की बेर की जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 609 में अंकित खसरा संख्या 15339 रकबा 03–03–00 किस्म बा.2 व 13341 रकबा 01–01–10 किस्म बा.2 में करमसिंह श्रवणसिंह पिसरान रामसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 522 में अन्य खसरान् के साथ रकबा खसरा संख्या 15345 रकबा 00–07–00 किस्म बा.2 व 15347 रकबा 01–01–10 किस्म बा.2 प्रार्थी करम सिंह के नाम दर्ज है। चूंकि प्रार्थीगण स्वयं उक्त वादग्रस्त आराजियात में खातेदार है, अतः वे अपनी खातेदारी की भूमियों में पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मालातों की बेर के खसरा संख्या 15339 रकबा 03–03–00 किस्म बा.2 व 15341 रकबा 01–01–10 किस्म बा.2 तथा खसरा संख्या 15345 रकबा 00–07–00 किस्म.बा.2 व 15347 रकबा 01–01–10 किस्म.बा.2 की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार टॉडगढ़ को आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार टॉडगढ़ प्रार्थीगण की खातेदारी के उक्त खसरान् का पत्थरगढ़ी शुल्क प्रार्थीगण से नियमानुसार प्राप्त कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण व उनके सहखातेदान तथा विवादित खसरान् के पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर एवं संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारियान/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर नियमानुसार सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ढी करावें। पालना रिपोर्ट अविलम्ब ही प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 30-05-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रणवीर सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
टॉडगढ़

Scanned by CamScanner